वित्त आयोग

वित्त आयोग

वित्त आयोग भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र है

-भारतीय संविधान

अनुच्छेद 280 (भारतीय संविधान का भाग XII)

अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग का गठन

गठन:

भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि के भीतर

सदस्य:

- अध्यक्ष + 4 सदस्य (**एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सहित**)- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त
- योग्यता तय करने का अधिकार-संसद
- **कार्यकाल:** जैसा कि **राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किया गया है**
- **पुनर्नियुक्ति: पुनर्नियुक्त किये जा सकते हैं**

एक सिविल कोर्ट की शक्तियाँ

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार

वित्त आयोग की सिफारिशें केवल सलाहकारी हैं और सरकार के लिये बाध्यकारी नहीं हैं

- **पहला वित्त आयोग (1952–57)**
  - अध्यक्ष- **के. सी. नियोगी**
- **दूसरा वित्त आयोग (1957–62)**
  - अध्यक्ष- **के. संथानम**
- **पंद्रहवाँ वित्त आयोग (2021–2026)**
  - अध्यक्ष- **एन.के. सिंह**
- **राज्य वित्त आयोग**
  - **राज्यपाल** द्वारा प्रत्येक **5वें वर्ष** में गठित (**अनुच्छेद 243**)
  - **पंचायतों और नगर पालिकाओं** की वित्तीय स्थिति की समीक्षा

राष्ट्रपति को FC द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैं:

- केंद्र और राज्यों के बीच **शुद्ध कर आय का वितरण**
- केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता हेतु **अनुदान का निर्धारण**
- **राष्ट्रपति द्वारा इसे भेजे गए अन्य वित्तीय मामले**
- राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर **पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि में संवर्द्धन के लिये आवश्यक कदमों की सिफारिश** करना।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/finance-commission-13